



दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :- 25/05/2016

वादीगण की ओर से श्री अशोक कुमार बिश्नोई अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री चानण राम अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के सम्मुख अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा एवं सहमती के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार घोषणा किया जाता है:-

वादीगण को प्राप्त भूमि:- चक 2 एस.जी. आर. के एकल खाता संख्या 3 के प.न. 2/314 (27) की कुल 3.770 हैक्ठ अनकमाण्ड /नहरी गै.मु. रास्ता खाला व प.न. 3/315 (39) की कुल 2.378 हैक्ठ नहरी खातेदारी कृषि भूमि का वादीगण को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 नाम कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की

3
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक ...25/5/2026... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

3
(उमा मित्तल कलक्टर एवं
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

